प्रेस विज्ञप्ति

यह जानकारीअंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2017 और अंडमान तथा निकोबार मूल्य वर्धित कर नियम, 2020 के तहत पंजीकृत सभी बार मालिकों और पीओएल डीलरों तथा अन्य डीलरों के लिए है, जिससे आयुक्त (वैट), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को जारी अधिसूचना फा.सं.1-1/डीसी (एसए)/वैट (खं.फा)/2017-18/5974 का अनुपालन किया जा सके।

क्रमाक	विवरण	नियम 24(1) एवं 26(1) के अर्न्तगत निर्धारित समय	देय तिथि
1.	कर का भुगतान	मासिक **(उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान का कार्यालय में भुगतान किया जाना है ।)**	आगामी माह का **21** तारीख या उससे पहले।
2.	तिमाही वैट रिटर्न जमा करना	तिमाही **पंजीकार सहकारी समितियों के कार्यालय, वीआईपी रोड, पोर्ट ब्लेयर में स्थित मूल्य वर्धित कर अधिकारी (मुख्यालय)के कार्यालय में दाखिल किया जाना है)**	प्रत्येक तिमाही का **28**तारीख या उससे पहले।
		प्रथम तिमाही :01 अप्रेल- 30 जून	**28 जुलाई** को या उससे पहले।
		द्वितीय तिमाही : 01 जुलाई-30 सितंबर	**28 अक्टूबर** को या उससे पहले।
		तृतीय तिमाही : 01 अक्टूबर- 31 दिसंबर	**28 जनवरी** को या उससे पहले।
		चतुर्थ तिमाही : 01 जनवरी-31 मार्च	**28 अप्रैल** को या उससे पहले।

इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर अण्डमान तथा निकोबार मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2017 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

यह जानकारी उचित कर अनुपालन बनाए रखने और सरकारी खजाने के वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करने के हित में जारी किया गया है। आपका सहयोग अपेक्षित एवं सराहनीय है।

मूल्य वर्धित कर अधिकारी (मुख्यालय)

Press Release

This is for the information of all the Bar Owners and POL dealers and other dealers registered under A&N Islands Value Added Tax Regulation, 2017 and A & N Value Added Tax Rules, 2020 to comply with the notification F.No.1-1/DC (SA)/VAT (PF)/2017-18/5974 dated 31st December, 2020 issued by the Commissioner (VAT), A & N Islands.

Sl. No.	Particular	Time Prescribed under Rules 24(1) & 26(1)	Due date
1.	Payment of Tax	Monthly **(To be remitted at DC Office, South Andaman)**	**21st** day of the succeeding month.
2.	Submission of Quarterly VAT Return	Quarterly **(To be filed at VATO (HQ), O/o The Registrar of Cooperative Societies, VIP Road, Port Blair)**	**28th** day of each succeeding quarter
		Q1: 01st April- 30th June	On or before **28th July.**
		Q2: 01st July- 30th September	On or before **28th October.**
		Q3: 01st October- 31st December	On or before **28th January.**
		Q4: 01st January -31st March	On or before **28th April.**

Failure to adhere to these requirements will attract penal provisions under the A & N Value Added Tax Regulation, 2017.

This information is issued in the interest of maintaining proper tax compliance and ensuring the financial health of the Government exchequer. Your cooperation is expected and appreciated.

Value Added Tax Officer (HQ)